

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 252/2026

अनवान : -

1. राकेश कुमार पुत्र रामभगत जाति जट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. मनोज कुमार पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. रामभगत पुत्र नौरंगराम जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. सोनू छाबा पुत्र राम भगत जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर
3. केहर सिंह पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर
4. निर्मला पत्नि राजपाल जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0  
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 27/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 24/34 की कुल तादादी 3.7510 हैक्टर भूमि स्थित है एवं रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 267/24 की कुल तादादी 0.7201 हैक्टर भूमि वादी के दादा नौरंगराम के नाम दर्ज थी।

वादीगण के दादा नौरंगराम फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उनके एक मात्र पुत्र प्रतिवादी सं. 1 अकेले के अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि वाद भूमि में राजपाल का भी हक व हिस्सा था एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 24/34 की कुल तादादी 3.7510 हैक्टर भूमि स्थित है एवं रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 267/24 की कुल तादादी 0.7201 हैक्टर भूमि हिस्से में आई। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण अपना हक व हिस्सा की घोषणा करवापाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वजो ने बाहमी बंटवारा के अनुसार काश्त करते आ रहे है तथा मुताबिक बंटवारानामा के अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है इसलिए वादग्रस्त भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार से है :-

रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 14 की 0.150 हैक्टर भूमि, 17 की 0.150 हैक्टर, 24 की 0.0638 हैक्टर भूमि कुल 0.3638 हैक्टर भूमि वादी सं. 1 के पास रहेगी। रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 12 की 0.2232 हैक्टर, 19 की 0.1406 हैक्टर भूमि कुल 0.3638 हैक्टर भूमि वादी सं. 2 के पास रहेगी। रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 18 की 0.0051 हैक्टर, 19 की 0.0825 हैक्टर भूमि, 23 की 0.1468 हैक्टर भूमि, 24

*Rahul*  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

की 0.1205 हैक्टर भूमि, कुल 0.3549 हैक्टर भूमि रहेगी। एवं प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 12 की 0.023 हैक्टर भूमि, 13 की 0.023 हैक्टर भूमि, 14 की 0.023 हैक्टर भूमि, 17, की 0.023 हैक्टर भूमि, 18 की 0.023 हैक्टर भूमि, 19 की 0.023 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पास रहेगी। रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 12 की 0.0068 हैक्टर भूमि 19 की 0.0069 हैक्टर भूमि, 13 की 0.1750 हैक्टर, 18 की 0.1750 हैक्टर भूमि कुल 0.3637 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 2 के पास रहेगी। रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प. न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 13 की 0.055 हैक्टर, 14 की 0.080 हैक्टर 17 की 0.080 हैक्टर 18 की 0.0499 हैक्टर 23 की 0.0302 हैक्टर, 0.0687 हैक्टर भूमि कुल 0.3638 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 3 के पास रहेगी। इन्ही आश्यों की वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वादीगण के दादा नौरगराम फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उनके एक मात्र पुत्र प्रतिवादी सं. 1 अकेले के अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि वाद भूमि में राजपाल का भी हक व हिस्सा था एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 24/34 की कुल तादादी 3.7510 हैक्टर भूमि स्थित है एवं रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 267/24 की कुल तादादी 0.7201 हैक्टर भूमि हिस्से में आई। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से

*Sahul*

उपअण्ड अधिकारी  
नोहर

हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण अपना हक व हिस्सा की घोषणा करवापाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वजो ने बाहमी बंटवारा के अनुसार काश्त करते आ रहे है तथा मुताबिक बंटवारानामा के अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है इसलिए वादग्रस्त भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार से है :-

रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 14 की 0.150 हैक्टर भूमि, 17 की 0.150 हैक्टर, 24 की 0.0638 हैक्टर भूमि कुल 0.3638 हैक्टर भूमि वादी सं. 1 के पास रहेगी। रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 12 की 0.2232 हैक्टर, 19 की 0.1406 हैक्टर भूमि कुल 0.3638 हैक्टर भूमि वादी सं. 2 के पास रहेगी। रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 18 की 0.0051 हैक्टर, 19 की 0.0825 हैक्टर भूमि, 23 की 0.1468 हैक्टर भूमि, 24 की 0.1205 हैक्टर भूमि, कुल 0.3549 हैक्टर भूमि रहेगी। एवं प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 12 की 0.023 हैक्टर भूमि, 13 की 0.023 हैक्टर भूमि, 14 की 0.023 हैक्टर भूमि, 17, की 0.023 हैक्टर भूमि, 18 की 0.023 हैक्टर भूमि, 19 की 0.023 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पास रहेगी। रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 12 की 0.0068 हैक्टर भूमि 19 की 0.0069 हैक्टर भूमि, 13 की 0.1750 हैक्टर, 18 की 0.1750 हैक्टर भूमि कुल 0.3637 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 2 के पास रहेगी। रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प. न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 13 की 0.055 हैक्टर, 14 की 0.080 हैक्टर 17 की 0.080 हैक्टर 18 की 0.0499 हैक्टर 23 की 0.0302 हैक्टर, 0.0687 हैक्टर भूमि कुल 0.3638 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 3 के पास रहेगी इसी अनुसार वाद वादी डिक्री किया जावे। प्रतिवादी स0 1 ता 4 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।


पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 24/34 की कुल तादादी 3.7510 हैक्टर भूमि स्थित है एवं रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 267/24 की कुल तादादी 0.7201 हैक्टर भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक भूमि होना साबित है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकार काबिज है प्रतिवादी स0 1 ने नाम दर्ज भूमि में मुताबिक बाहमी बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण को भी खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे,

वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स० 1 ता 4 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 14 की 0.150 हैक्टर भूमि, 17 की 0.150 हैक्टर, 24 की 0.0638 हैक्टर भूमि कुल 0.3638 हैक्टर भूमि का वादी स० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 12 की 0.2232 हैक्टर, 19 की 0.1406 हैक्टर भूमि कुल 0.3638 हैक्टर भूमि का वादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 18 की 0.0051 हैक्टर, 19 की 0.0825 हैक्टर भूमि, 23 की 0.1468 हैक्टर भूमि, 24 की 0.1205 हैक्टर भूमि, कुल 0.3549 हैक्टर भूमि एवं प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 12 की 0.023 हैक्टर भूमि, 13 की 0.023 हैक्टर भूमि, 14 की 0.023 हैक्टर भूमि, 17, की 0.023 हैक्टर भूमि, 18 की 0.023 हैक्टर भूमि, 19 की 0.023 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प. न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 12 की 0.0068 हैक्टर भूमि 19 की 0.0069 हैक्टर भूमि, 13 की 0.1750 हैक्टर, 18 की 0.1750 हैक्टर भूमि कुल 0.3637 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प. न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 13 की 0.055 हैक्टर, 14 की 0.080 हैक्टर 17 की 0.080 हैक्टर 18 की 0.0499 हैक्टर 23 की 0.0302 हैक्टर, 0.0687 हैक्टर भूमि कुल 0.3638 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी स० 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या – 252/2026

अनवान : –

1. राकेश कुमार पुत्र रामभगत जाति जट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. मनोज कुमार पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।

– वादीगण

### बनाम्

1. रामभगत पुत्र नौरंगराम जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. सोनू छाबा पुत्र राम भगत जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर
3. केहर सिंह पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर
4. निर्मला पत्नि राजपाल जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।


– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 252 सन 2026 निर्णय दिनांक 27.05.26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 14 की 0.150 हैक्टर भूमि, 17 की 0.150 हैक्टर, 24 की 0.0638 हैक्टर भूमि कुल 0.3638 हैक्टर भूमि का वादी स० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 12 की 0.2232 हैक्टर, 19 की 0.1406 हैक्टर भूमि कुल 0.3638 हैक्टर भूमि का वादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 18 की 0.0051 हैक्टर, 19 की 0.0825 हैक्टर भूमि, 23 की 0.1468 हैक्टर भूमि, 24 की 0.1205 हैक्टर भूमि, कुल 0.3549 हैक्टर भूमि एवं प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 12 की 0.023 हैक्टर भूमि, 13 की 0.023 हैक्टर भूमि, 14 की 0.023 हैक्टर भूमि, 17, की 0.023 हैक्टर भूमि, 18 की 0.023 हैक्टर भूमि, 19 की 0.023 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 12 की 0.0068 हैक्टर भूमि 19 की 0.0069 हैक्टर भूमि, 13 की 0.1750 हैक्टर, 18 की 0.1750 हैक्टर भूमि कुल 0.3637 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के प. न. 402/451 मु.न. 81 के किला नं. 13 की 0.055 हैक्टर, 14 की 0.080 हैक्टर 17 की 0.080 हैक्टर 18 की 0.0499 हैक्टर 23 की 0.0302 हैक्टर, 0.0687 हैक्टर भूमि कुल 0.3638 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी स० 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.05.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर